प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –82/2023

अनवान : –

1. सचित पुत्र वेदपाल उम्र 7 साल जाति जाट नाबालिगान जरिये संरक्षिका कुदरती बली माता सरिता पत्नी वेदपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

–– वादी

बनाम्

1. वेदपाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थिति :– श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **वादी**

श्री मांगीलाल देहडू अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांकः** 24/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 88/84 के ख0न0 242 की 7.7140 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 87/96 के ख0न0 53/1 की 4.7920 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता स0 63/63 के ख0न0 78 की 1.8840 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। वादी के दादा की फौतदगी के बाद उनके वारिसान के विरास्तन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। वर्तमान में वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 यानि की वादी के पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी स0 1 के उक्त वाद भूमि बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है यानि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है, इसलिए वादी प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर वादी राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें। प्रतिवादी स0 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक इस्तदुआ डिक्री फरमाया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है।

साक्ष्य वादी में वादी के [illegible] पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:48 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादी स0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 88/84 के ख0न0 242 की 7.7140 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 87/96 के ख0न0 53/1 की 4.7920 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता स0 63/63 के ख0न0 78 की 1.8840 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 88/84 के ख0न0 242 की 7.7140 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 87/96 के ख0न0 53/1 की 4.7920 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता स0 63/63 के ख0न0 78 की 1.8840 हैक्ट भूमि में से 1/9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी स0 1 के बजाय प्रतिवादी स0 1 व वादी को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 24/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:48 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –82 / 2023

अनवान : –

1. सचित पुत्र वेदपाल उम्र 7 साल जाति जाट नाबालिगान जरिये संरक्षिका कुदरती बली माता सरिता पत्नी वेदपाल जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।

–– वादी

बनाम्

1. वेदपाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 82 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा सुरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 88 / 84 के ख0न0 242 की 7.7140 हैक्ट भूमि में से 1 / 9 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा ललानाबास उतरादा तहसील नोहर के खाता स0 87 / 96 के ख0न0 53 / 1 की 4.7920 हैक्ट भूमि में से 1 / 9 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता स0 63 / 63 के ख0न0 78 की 1.8840 हैक्ट भूमि में से 1 / 9 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त तीनों खातों की भूमि में प्रतिवादी स0 1 के बजाय प्रतिवादी स0 1 व वादी को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.5.25 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:48 IST
Reason: SelfAttested